

रांग्या:- जी03आई0:- 2428 / 7-1-2010-600(3298) / 2009.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र दुमार,  
अपर संचिय,  
चत्तराखण्ड शासन।

1553  
1 रुपूरुष (रुपूरुष)  
25.-11.-2010

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण,  
मूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,  
चत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादून : दिनांक 30 अक्टूबर, 2010.

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्ज्वलपुर से जसपुर-वाड-झुम्गी मोटर नार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हेठो वन मूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1072 / 1जी-2642 (चमोली) दिनांक 29-10-2010 के सन्दर्भ ने नुस्खे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अन्तर्गत उज्ज्वलपुर ते जसपुर-वाड-झुम्गी मोटर नार्ग के निर्माण हेतु 1.710 हेठो वन मूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8वी/यू.सी.पा. / 06/335/2009/एफ.सी./950 दिनांक 13-10-2010 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. 'वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।'
2. प्रयोक्ता एजेंट्सी के त्वय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 3.4.3 हेठो तिरोली अवनत सिविल एवं सोयम न्यूनि वन मूमि को छः माह के क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख-रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन मूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-177/2010-एफ.सी. दिनांक 3-8-2010, जिसके द्वारा तथा भारत सरकार, पर्यावरण एवं संख्या 11-177/2010-एफ.सी. दिनांक 5-7-2010 को सम्बन्ध वैठक में तिये गये निर्णय को वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5-7-2010 को कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस वैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन मूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वैज्ञानिक वृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के तंत्र गत प्राविधानों के घोषित कर इसके वैज्ञानिक वृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के तंत्र गत प्राविधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय तिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन मूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इन मूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित दन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेंट्सी उपर्योग क्षेत्र द्वारा दृष्टिकोण हेतु ही करेंगा। तथा दह दृष्टि न्यूनि लक्ष्यद उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्थ लक्ष्यद द्वारा को हस्तान्तरित नहीं करेंगा।
5. प्रयोक्ता एजेंट्सी के उद्दिक्षात्/कर्तवारी अध्यव दृष्टिकोण द्वारा या उपर्योग क्षेत्रों के उद्दिक्षन दा उन्ते तम्भियता कोई नी प्रकार दो इन तम्भदा को क्षति नहीं पहुँचाने दै यदि यदि उक्त दृष्टि के अन्तर्गत व्यक्तियों द्वारा वन लक्ष्यद के कोई कान्दि द्वारा दै है अध्यव कोई क्षति पहुँचती है तो उक्तके लिए

- सम्बन्धित प्रगाणीय वनाधिकारी हारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर वाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी हारा देय होगा।

6. उवत वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक वनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उवत प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उवत भूमि अथवा उराके किरी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथारिति उवत भूमि अथवा उवत भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को दिना किसी प्रतिकर बुगतान के वापस हो जायेगी।

7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सकाम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

8. वन विभाग तथा उसके अधिकारीओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक रागझे, उत्तरान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

9. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित गार्फ के दोनों ओर रिक्त पड़े रथानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक उसका रख-रखाव किया जायेगा।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा जनपद कार्य वल की रांतुतियों एवं गू-दैज्ञानिक के सुझावों का कडाई रो अनुपालन किया जायेगा।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख-रखाव के दौरान आरा-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा परियोजना निर्माण में कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई रैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों पर जैविक दबाव को कम किया जा सके।

13. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा प्रस्तावित रथत/वन क्षेत्र के आरा-पास गजदूरों/स्टाफ के लिए किसी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

14. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा प्रस्तावित वन भूमि को अतिरिक्त आरा-पास की वन भूमि से निर्गाण गें गिटटी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

15. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण राम्बन्धित ग्रामों की रथानीय जनता वे हक-हकूम के दृष्टिगत किया जायेगा।

16. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा गार्फ निर्माण गें आवश्यक न्यूनतग वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०इ०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं गार्फ के दोनों ओर रिक्त रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि को गारत रारकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय के स्तर पर गठित किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता एजेन्सी हारा सङ्क निर्गाण के दौरान उत्सर्जित मलवे को पहाड़ों के ढलान से नीचे निरस्तारित नहीं किया जायेगा व उत्सर्जित गलवे के उचित निरतारण हेतु गक डम्पिंग रथलों को चयनित कर चिन्हित रथलों पर ही गलवे का निरतारण किया जायेगा। गक डिस्पोजल रथलों के वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक कार्यों के माध्यम से उपचार हेतु वन विभाग द्वारा एक उपचार योजना तैयार की जायेगी, जिसे विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर क्रियान्वित किया जायेगा। उत्सर्जित गलवे को किसी भी दशा में नदी में निरस्तारित नहीं किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी हारा गक डिस्पोजल की योजना लखनऊ तथा नोडल अधिकारी कार्यालय को प्रेपित वी जायेगी। गक डिस्पोजल कार्य योजना प्रेपित न कराये जाने की दशा में इसे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन समझा जायेगा एवं कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप नं-104/26/प्र०स०-आ०व०ग्रा०वि० दि०-१-१-२००१, कार्यालय ज्ञाप सं०-११०/२६/प्र०स०-आ०व०ग्रा० वि० दि०-४-१-२००१ एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: ए-२-७५/दस-७७-१४(४)/७४ दिनांक ३-२-१९७७ द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)  
अपर सचिव।